उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना / विज्ञप्ति

सेवाकाल में दिवंगत पुलिस रेडियो विभाग के कर्मचारियों के आश्रितों की कर्मशाला कर्मचारी के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

संख्याःपीआरपीबी–पीआरपीबी–दो–1(03)2018 दिनांकः अप्रैल 19 ,2018

1– सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः2030 / 6–पु0–1–15–213 / 2015 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 तथा पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः18 / ए–1(124)–2013 दिनांक 24 नवम्बर,2015 में दी गयी प्रकिया के अनुसार कर्मशाला कर्मचारी वेतनमान–पे बैण्ड–5200–20200 व ग्रेड पे–2000 के 04 पद हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित मृत पुलिस कर्मी के आश्रित 04 पुरूष / महिला अभ्यर्थी को मृतक आश्रित के रूप में भर्ती किये जाने हेतु उनकी दक्षता मूल्यांकन परीक्षा 07–05–2018 को 35वीं, वाहिनी, पी0ए0सी0, लखनऊ में आयोजित की जायेगी।

2– शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश–पत्र बोर्ड की वेबसाइट http:// uppbpb.gov.in पर दिनांक 27–04–2018 से उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त करेंगे।

3– शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु सभी पुरूष / महिला अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली–2015 एवं शासनादेश संख्या–1569 / 6–पु0–10–2016– 1200(68) / 2016 दिनांक 19–10–2016 के द्वारा कर्मशाला कर्मचारी के पद पर मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रकिया एवं मानकों के अनुरूप उनसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 30 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 19 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

4– संगत नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

5– शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनायी जायेगी।चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जायेगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी ।

19.4.18
अपर सचिव (प्रोन्नति)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।